मध्यप्रदेश विधान सभा

जून—अगस्त, 1990 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 27 जुलाई, 1990 (श्रावण 5, 1912)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्त: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री सुन्दरलाल पटवा, मुख्य मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम मर्यादित का पांचवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1986-87 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कैलाश चावला, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का बाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1984-85 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

श्री प्रकाश जैन

(1) श्री मोतीलाल वोरा, सदस्य, सीहोर जिले के ग्राम बोरदी की एक हरिजन महिला के साथ बलात्कार किये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री लक्ष्मण जयदेव सतपथी, सदस्य, भोपाल स्थित भारत भवन की कार्यप्रणाली पर मिथ्या आरोपण से साहित्यकारों में फैल रहे रोष की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री उमाशंकर मुंजारे/इन्द्रजीत कुमार/के. डी. देशमुख, सदस्य रतलाम के बाल सम्प्रेक्षण गृह में विषाक्त भोजन के सेवन से दो बालकों की हुई मृत्यु की ओर समाज कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री राधेश्याम मांदलिया, सदस्य, मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील में अज्ञात बीमारी से पशुओं की मौत होने की ओर राज्य मंत्री, पशुधन एवं डेयरी विकास का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री अशोक कुमार चौरसिया, सदस्य:—

(क) जिला छतरपुर, विकास खंड बकस्वाहा के ग्राम जरा में तालाब पर बांध का निर्माण कराये जाने के संबंध में 21 व्यक्तियों की.

(ख) जिला छतरपुर, विकास खंड बकस्वाहा के ग्राम डगरई में प्राथमिक शाला खोले जाने के संबंध में 18 व्यक्तियों की.

(ग) जिला छतरपुर, विकास खंड वकस्वाहा के ग्राम जगारा में प्राथमिक शाला खोले जाने के संबंध में 10 व्यक्तियों की.

(घ) जिला छतरपुर में बक्स्वाहा से ग्राम सादपुर होकर ग्राम बरी, जिला-दमोह तक सड़क निर्माण कराये जाने के संबंध में 26 व्यक्तियों की.

(च) जिला छतरपुर के ग्राम रजपुरा के निवासियों को विद्युत् कनेक्शन दिलाये जाने के संबंध में 39 व्यक्तियों की, तथा

(छ) जिला छतरपुर के विकास खंड बड़ामलहरा के ग्राम सिरोज में प्राथमिक शाला खोले जाने के संबंध में 44 व्यक्तियों की

याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री राम विचार, सदस्यः--

(क) जिला सरगुजा की तहसील रामानुजगंज एवं वाड्रफ नगर के बीच पढ़ने वाली सेन्दूर नदी पर पुल बनाये जाने के संबंध में 42 व्यक्तियों की, तथा

(ख) जिला सरगुजा, तहसील वाड्रफ नगर में सिविल कोर्ट प्रारंभ कराने के संबंध में 52 व्यक्तियों की

याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री रामराव महाले, सदस्यः--

(क) जिला छिंदवाड़ा तहसील सौंसर के ग्राम घोटी में कन्हान नदी पर स्टाप डेम एवं उद्वहन सिंचाई योजना प्रारंभ करने के संबंध में 48 व्यक्तियों की, तथा

(ख) जिला छिंदवाड़ा के ग्राम घोटी से सौंसर जाने वाले मार्ग पर कन्हान नदी पर सेतु निर्माण कराने के संबंध में 1325 व्यक्तियों की.

याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

(4) श्री चन्द्रशेखर साहू, सदस्य, जिला रायपुर, ब्लाक अभनपुर के ग्राम कोलर में लिफ्ट इर्रीगेशन योजना बनाने के संबंध में 149 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

(5) श्री गनेशीलाल वर्मा, सदस्य, जिला पन्ना के ग्राम टिकरिया में केन नदी पर पिकअप वियर डायवर्सन निर्माण किए जाने एवं ग्राम बराछ की मड़ासन नदी पर उद्वहन सिंचाई योजना प्रारंभ कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में 15 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

(6) श्री झुमुकलाल भेड़िया, सदस्य, जिला दुर्ग, तहसील बालोद में भोयरटोला सिंचाई बांध के विस्थापितों को उचित मुआवजा दिये जाने एवं बसाने के संबंध में 5 व्यक्तियों की, याचिका प्रस्तुत करेंगे.

(7) श्री जालमसिंह पटेल, सदस्य, जिला दुर्ग विकासखंड बालौद के ग्राम वरही में वर्ष 1990-91 में हाई स्कूल खोले जाने के संबंध में 30 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

45 मिनट श्री निर्भयसिंह पटेल, वन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1990 (क्रमांक 13 सन् 1990) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

6. नियम 142-क के अधीन चर्चा

नर्मदा सागर बांध के संबंध में प्रदेश शासन की नीति का खुलासा किये जाने के संबंध में श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य, चर्चा उठाएंगे.

7. अशासकीय संकल्प

30 मिनट (1) श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे:—

"सदन का यह मत है कि प्रत्येक पंचायत केन्द्र में एक माध्यमिक शाला खोली जाए."

30 मिनट (2) श्री चन्द्रशेखर साहू, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे:—

"सदन का यह मत है कि विश्व पर्यावरण दशक को दृष्टिगत रखते हुए वन पंचायतों का गठन स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से किया जाए."

15 मिनट (3) श्री ताराचंद साहू, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे:—

"सदन का यह मत है कि तकनीकी कार्यों में उच्च गुणवत्ता एवं वांछित तकनीकी मापदंड को बनाये रखने के लिये प्रत्येक राजस्व संभाग में संभागीय तकनीकी सतर्कता प्रकोष्ठ की स्थापना की जावे."

30 मिनट (4) श्री सुरेश सेठ, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :—

"सदन का यह मत है कि जनहित में विधान सभा क्षेत्रों के विकास कार्यों में गति लाने हेतु प्रतिवर्ष 30 लाख रुपये विधायक के परामर्श पर प्रशासन द्वारा उसी के विधान सभा क्षेत्र में खर्च करने की स्वीकृति दी जावे."

15 मिनट (5) श्री तेजसिंह सेंधव, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे:—

"सदन का यह मत है कि प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था हेतु प्रत्येक नदी नाले पर स्टाप डेम तथा अधिक संख्या में तालाबों का निर्माण किया जाय."

8. नियम 52 के अधीन आधे घण्टे की चर्चा.

(1) दिनांक 20 जुलाई, 1990 को मुख्य मंत्री से पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्रमांक 2818) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री महेश तिवारी, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 20 जून 1990 को मुख्य मंत्री से पूछे गये नियम 46(2) के अंतर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्रमांक 544) के उत्तर से उद्भूत विषय पर डा. रमेश, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दनांक 25 जुलाई 1990.